रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एम0 एम0 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 9 मार्च, 1991/18 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला-176215, 2 जनवरी, 1991

संख्या 3529-32.—क्योंकि श्री किशन चन्द सुपुत्र श्री महलू राम, पंच वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा का दिनांक 17-11-1990 को देहान्त हो चुका है ।

और क्योंकि मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 के अन्तर्गत अयोग्यता समझी जाती है तथा इसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी ने भी की है ।

अत : मैं, वी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री किशन चन्द सुपुत्र श्री महलू राम, पंच, वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत सुकनाड़ा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां का मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19(वी) में, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच के स्थान को रिक्त घोषित करता हूं ।

84-राजपत्र/91-9-3-91—1,195.

मूल्य : 1 रुपया ।

धर्मशाला-176215, दिसम्बर, 1990

संख्या : क्योंकि श्री दौलत राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बरण्डा-कण्डवाल, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा का 22-10-1990 को देहान्त हो चुका है ।

और क्योंकि मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 के अन्तर्गत अयोग्यता समझी जाती है तथा इस बारे पंजीयक अधिकारी (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा प्रमाण-पत्र में पुष्टि की गई है।

अत: मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री दौलत राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बारण्डा-कण्डवाल, विकास खण्ड नूरपुर का मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19(बी0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0बी0(4) 15/76.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0एच0बी0 (1) 2/76-II, दिनांक 29-1-1990 के क्रम में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श पर पंचायती राज विभाग में श्री सूरत सिंह की जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 29-7-90 से 28-1-1991 या जब तक नियमित नियुक्ति न हो जाये (जो भी पहले आए) तक बढ़ाने के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-,
सचिव ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला-176215, 28 जनवरी, 1991

संख्या 3775-81.—क्योंकि पंचायत समिति पंचरुखी के तीन सदस्यों ने उपाध्यक्ष पंचायत समिति पंचरुखी को श्री रमेश भाऊ को अध्यक्ष पद पर न बने रहने का प्रस्ताव 6 सितम्बर, 1990 को दिया था ;

और क्योंकि उपाध्यक्ष ने अविश्वास सम्बन्ध प्रस्ताव पर विचार हेतु 20-12-1990 को समिति की बैठक बुलाई थी;

और क्योंकि दिनांक 20-12-1990 की बैठक जो उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पालमपुर की अध्यक्षता में हुई और जिसमें 61 सदस्यों ने भाग लते हुए अविश्वास प्रस्ताव को 15 के मुकाबले 46 मतों से पारित करते हुए श्री रमेश भाऊ को पंचायत समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया है ।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला, अध्यक्ष पंचायत समिति पंचरुखी के पद को 20-12-1990 से रिक्त घोषित करता हूं ।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

ऊना, 4 फरवरी, 1991

संख्या एफ0 डी0 एस0-ऊना-6-1136/81-(भाग-2) 815-860.—पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी, मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1)(ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर0 के0 जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिला दण्डाधिकारी, ऊना हिमाचल प्रदेश उपरोक्त आदेश की अनुसूची संख्या में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं का समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं । कोई भी व्यापारिक निर्माता निम्न निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य नहीं लेगा ।

क्रम संख्या	अनुसूची संख्या के अनुसार क्रमांक	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य
1	2	3	4
			रुपय
1.	2	1. डबल रोटी वजन 400 ग्राम	2.25 प्रति पैकेट
2.	12	2. मीट बकरा	32.00 प्रति किलो
		3. मीट सुअर	16.00 ,,
		4. मुर्गा जीवित	24.00 ,,
		5. मीट मुर्गा ड्रैस्ड	30.00 ,,
		6. मछली ग्रेड "ए"	20.00 ,,
		7. मछली ग्रेड "बी"	15.00 ,,
		8. मछली ग्रेड "सी"	14.00 ,,
		9 मछली ग्रेड "डी"	13.00 ,,
		10. मछली ग्रेड "ई"	12.00 ,,
3.	18	1. दूध उत्पादक द्वारा बेचे जाने वाले कच्चे दूध का भाव	4.50 ,,
		2. दूध थोक विक्रेता द्वारा बेचे जाने वाले दूध का भाव	4.75 ,,
		3. दूध कच्चा	5.00 ,,
		4. दूध उबला हुआ	5.25 ,,
		5. दूध उबला हुआ मीठा सहित	6.00 ,,
		6. दही	7.00 ,,
4.	13	1. अण्डे	थोक विक्रेता 3% मुनाफा
		2. कच्चा	परचून विक्रेता 5% मुनाफा

1	2	3	4
5.	17	पका हुआ खाना किसी भी होटल व ढाबा में :—	रुपये
		1. प्रति खुराक दाल, सब्जी, सलाद (मूली तथा प्याज सहित)	4.00 प्रति खुराक
		2. चावल दाल सब्जी सलाद	4.50 ,,
		3. स्पैशल सब्जी प्रति प्लेट	2.00 प्रति प्लेट
		4. मटर पनीर/पालक पनीर	3.00 ,,
		5. मीट प्रति प्लेट	10.00 ,,
		6. परौंठा स्पैशल	1.50 प्रति एक
		7. चपाती	0.40 ,,
		8. चपाती तन्दूरी	0.50 ,,
6.	20	पेयजल पदार्थ :—	
		1. कैम्पा कोला, थम्सअप, माजा, लिमका (चिल्ड)	3.50 प्रति बोतल
		2. कैम्पा कोला (अनचिल्ड)	3.00 ,,
		3. प्लेन सोडा	2.00 ,,
		4. लैमन (चिल्ड)	2.00 ,,
		5. लैमन (अनचिल्ड)	1.50 ,,

टिप्पणी :

दुकानदार को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूची प्रदर्शित करना और उस पर दकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने से एक माह की अवधि तक लागू रहेगा ।

आर0 के0 जैन,
जिला दण्डाधिकारी, ऊना,
जिला ऊना ।

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 फरवरी, 1991

संख्या एम0 एन0 डी0 वि0 शा0–डी0 ए0-1/91.—क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत कुम्मी विकास खण्ड सदर ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 3197.00 अपने पास अनाधिकृत रूप से रखी है और इससे निधि का दुरुपयोग हो रहा है जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है ।

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पंचायत कुम्मी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है प्रधान, ग्राम पंचायत कुम्मी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान के पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता व मामले में तदनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी ।

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 फरवरी, 1991

संख्या एम0 एन0 डी0 वि0 शा0-डी0 ए0-1/91.—क्योंकि उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड सदर ने पंचायत सभा निधि की धन राशि रु0 5004.00 अपने पास अनाधिकृत रूप से रखी है । और इससे निधि का दुरुपयोग हो रहा है जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलंघना है ।

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कथियारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका उप-प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत उप-प्रधान के पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता व मामले में तदनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

मण्डी, 5 फरवरी, 1991

संख्या एम0एन0डी0बि0शा0-डी0ए0-1/91-4940-44.—क्योंकि प्रधान, ग्राम पंचायत पण्डोह, विकास खण्ड सदर ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 3198.00 अपने पास अनाधिकृत रूप से रखी है और इससे निधि का दुरुपयोग हो रहा है जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उलघंना है ।

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पचायत पण्डोह ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझमें हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित है, प्रधान, ग्राम पंचायत पण्डोह, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ

नोटिस जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष से कुछ नहीं कहना चाहता व मामले में तदनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

मण्डी, 26 फरवरी, 1991

संख्या पी0 सी0 एन0 एम0 एन0 डी0 ए0(61)/85-II.—उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19(बी) [हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 बी0(2)-19/76, दिनांक 15-1-82 के साथ पढ़ा जाये] के अन्तर्गत प्राप्त है, मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी श्री वक्षी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत थाना, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी का प्रधान पद से त्यागपत्र तत्काल स्वीकार करता हूं तथा साथ ही ग्राम पंचायत थाना में प्रधान पद को भी रिक्त घोषित करता हूं ।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।